रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2943] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 5, 2019/भाद्र 14, 1941
No. 2943] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2019/BHADRA 14, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2019

आय-कर

का.आ. 3215(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (23ग) के पहले परंतुक और धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (VI) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 2019 है।

   (2) ये 5 नवंबर, 2019 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, -

   (i) 'नियम 2ग और नियम 2गक' के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : —

   "धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (IV), उपखंड (V), उपखंड (VI) और उपखंड (VIक) के अधीन छूट के लिए अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजन के लिए आवेदन।

   2ग. (1) धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (IV), उपखंड (V), उपखंड (VI) और उपखंड (VIक) के अधीन विहित प्राधिकारी ऐसा प्रधान आयुक्त या आयुक्त होगा जिसे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इस निमित्त कार्य करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) किसी निधि या संस्था, किसी न्यास (जिसके अंतर्गत कोई अन्य विधिक दायित्व भी है) या संस्था, किसी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्था और किसी अन्य चिकित्सालय या अन्य संस्था (जिसे इसमें इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है) के लिए धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (IV), उपखंड (V), उपखंड (VI) और उपखंड (VIक) के अधीन छूट का अनुमोदन प्रदान करने कोई आवेदन प्ररूप सं. 56 में किया जाएगा और उसे ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो निर्धारिती को यथालागू धारा 140 के अधीन आय की विवरणी का सत्यापन करने के लिए प्राधिकृत है ।

(3) प्ररूप 56,-

(i) अंकीय हस्ताक्षर के अधीन, यदि आय की विवरणी का अंकीय हस्ताक्षर के अधीन दिया जाना अपेक्षित है ; या

(ii) इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से, यदि खंड (I) के अंतर्गत नहीं आती है, इलैक्ट्रानिक रूप से दिया जाएगा ।

(4) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) डाटा संरचना, मानक और प्ररूप 56 देने और उसके सत्यापन की प्रक्रिया अधिकथित करेगा और इस प्रकार दिए गए उक्त प्ररूप के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और सुधार संबंधी नीतियों को विरचित और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।"।

(ii) 'नियम 11कक' के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : —

"धारा 80छ के अधीन किसी संस्था या निधि के अनुमोदन के लिए अपेक्षाएं ।

11AA (1) धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (vi) के अधीन अनुमोदन के लिए संस्था या निधि (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'आवेदक' कहा गया है) से प्ररूप 10छ में आवेदन फाइल करने की अपेक्षा होगी जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो निर्धारिती को यथा लागू धारा 140 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है ।

(2) प्ररूप संख्या 10छ-

(i) अंकीय हस्ताक्षर के अधीन, यदि आय की विवरणी का अंकीय हस्ताक्षर के अधीन दिया जाना अपेक्षित है ; या

(ii) इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से, यदि खंड (I) के अंतर्गत नहीं आती है, इलैक्ट्रानिक रूप से दिया जाएगा ।

(3) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महा निदेशक (प्रणाली) या आय-कर महा निदेशक (प्रणाली) डाटा संरचना, मानक और प्ररूप 10छ देने और उसके सत्यापन की प्रक्रिया अधिकथित करेगा और इस प्रकार दिए गए उक्त प्ररूप के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और सुधार संबंधी नीतियों को विरचित और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(4) प्रधान आयुक्त या आयुक्त आवेदक से ऐसे और दस्तावेज या सूचना की मांग सकेगा या ऐसी जांच करवा सकेगा जो वह आवेदक के क्रियाकलापों की विशुद्धता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए आवश्यक समझे ।

(5) जहां प्रधान या आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक द्वारा धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (i) से खंड (V) में अधिकथित सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं वहां वह लिखित में ऐसे समाधान को अभिलिखित करेगा और धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (VI) के अधीन अनुमोदन अनुदत्त करेगा ।

(6) जहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (i) से खंड (V) में अधिकथित एक या अधिक शर्तों को पूरा नहीं किया गया है वहां वह लिखित में कारणों को अभिलिखित करेगा और आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् अनुमोदन के आवेदन को नामंजूर करेगा ।

(7) धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (vi) के अधीन अनुमोदन अनुदत्त करने या आवेदन नामंजूर करने का आदेश, उस मास के अंत से, जिसमें ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ था, छह मास की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा। "।

3. मूल नियमों की परिशिष्ट 2 में,-

(i) 'प्ररूप 10छ' के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप सं. 10छ

(नियम 11कक देखिए)

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (vi) के अधीन निधि या संस्था के अनुमोदन की मंजूरी के लिए आवेदन

क. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के ब्यौरे

स्थायी खाता संख्या										निधि/ संस्था का नाम (आटो पापुलेटड)
ए	बी	सी	डी	ई	1	2	3	4	एफ	

फ्लैट / डोर / ब्लाक सं.	परिसर/ भवन / गांव का नाम	सड़क / गली	डाकघर

क्षेत्र / परिक्षेत्र	शहर/नगर/जिला	पिन कोड	राज्य (चयन करें)	देश (चयन करें)

कार्यालय की दूरभाष संख्या एसटीडी कोड सहित/ मोबाइल नं.1	फैक्स नं. एसटीडी कोड सहित / मोबाइल नं.2

ईमेल पता 1

ईमेल पता 2

ख. विधिक प्रास्थिति

कृपया विनिर्दिष्ट करें कि क्या निधि/ संस्था- (किसी एक का चयन करें)

- ○ ---------------के अधीन लोक न्यास के रूप में गठित है (कृपया अधिनियम का नाम विनिर्दिष्ट करें जिसके अधीन लोक न्यास के रूप में गठित किया गया है)
- ○ सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या भारत के किसी भाग में प्रवृत्त उस अधिनियम के तत्स्थानी किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है---------------(कृपया विधि का नाम विनिर्दिष्ट करें, जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत है)
- ○ कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के अधीन या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है
- ○ विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय है
- ○ सरकार द्वारा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध कोई अन्य शैक्षिक संस्था है ।
- ○ सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्त पोषित कोई संस्था है ।
- ○ संघ के सशस्त्र बलों द्वारा, ऐसे बलों के पूर्व या वर्तमान सदस्यों या उनके आश्रितों के कल्याण के लिए स्थापित की गई कोई रेजिमेंटल निधि या गैर पब्लिक निधि है ।
- ○ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)------------------

ग. प्रयोजन

1क. कृपया निम्नलिखित में से चयन करें (कम से कम एक) :

- ☐ गरीबों को अनुतोष
- ☐ शिक्षा
- ☐ योग
- ☐ चिकित्सा अनुतोष
- ☐ पर्यावरण संरक्षण (जिसके अंतर्गत जल विभाजक, वन और वन्य जीव भी है)
- ☐ कलात्मक या ऐतिहासिक हितों के स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण
- ☐ साधारण लोक उपयोगी किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति

1ख. "साधारण लोक उपयोगी किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति" की दशा में, कृपया निम्नलिखित के बारे में बताएं:

(i) क्या इसमें किसी उपकर या फीस या किसी अन्य प्रतिफल के लिए व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप चलाया जाना या किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप अंतर्वलित है ? हां/ नहीं

(ii) क्या साधारण लोक उपयोगी किसी अन्य उद्देश्य की ऐसी वास्तविक उन्नति के लिए कोई क्रियाकलाप किया गया है; और हां/ नहीं

(ii) ऐसे क्रियाकलाप से प्राप्तियों के ब्यौरे :

क्र. सं.	कुल प्राप्तियां	क्रियाकलाप से संकलित प्राप्तियां	कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता	टिप्पण, यदि कोई हों

घ. न्यास की दशा में

1. न्यासकर्ता(न्यासकर्ताओं)/ संस्थापक(कों)/ स्थापक(कों) के ब्यौरे:

क्र.सं.	नाम	स्थायी खाता सं.	आधार नं. (यदि आबंटित किया गया हो)	पता

ङ. न्यास/ सोसाइटी/ कंपनी/अन्य संस्थाओं की दशा में

1. न्यासी(न्यासियों)/ शासी परिषद् के सदस्यों/ निदेशक(कों)/ पदाधिकारी(रियों)के ब्यौरे:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	स्थायी खाता सं.	आधार नं. (यदि आबंटित किया गया हो)	पता

च. छूट/ अनुमोदन/ रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे

1. कृपया सुसंगत उपबंध दें जिसके अधीन आवेदक की आय उसकी कुल आय में सम्मिलित किए जाने के लिए दायी नहीं होगी (उपयोगिता में ड्रापडाउन का उल्लेख करें)।

2. विधि या संस्था के अनुमोदन या रजिस्ट्रीकरण की प्रास्थिति :
   - ○ धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदित
   - ○ धारा **12**क/ **12**कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत
   - ○ धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदित
   - ○ धारा **12**क/ **12**कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदित

2ख.

क्र.सं.	धारा	रजिस्ट्रीकरण/ आवेदन संख्या	रजिस्ट्रीकरण/ अनुमोदन/ आवेदन की तारीख

छ. कारबार के ब्यौरे

1.	क्या आवेदक को कोई ऐसी आय व्युत्पन्न हुई है जो कारबार का लाभ और अभिलाभ हो?	हां/नहीं
1क.	यदि हां, तो कृपया कारबार की प्रकृति बताएं।	
2.	क्या आवेदक ने ऐसे कारबार के संबंध में पृथक् लेखा-पुस्तिकों का अनुरक्षण किया है ?	हां/नहीं
3.	क्या ऐसे कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्राप्त संदानों का उपयोग किया गया है ?	हां/नहीं
4.	क्या ऐसी लिखत में जिसके अधीन संस्था या निधि का गठन किया गया है या संस्था या निधि को शासित करने वाले नियमों में किसी समय संस्था या निधि की संपूर्ण निधि की आय या आस्तियों का पूर्ण रूप से या उसके किसी भाग का पूर्त प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए अंतरण या उपयोजन के लिए कोई उपबंध अंतर्विष्ट है?	हां/नहीं
5.	क्या संस्था या निधि ने किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय या जाति के फायदों को व्यक्त किया है ?	हां/नहीं
6.	क्या संस्था या निधि ने उसकी प्राप्तियों और व्यय के नियमित लेखाओं का अनुरक्षण किया है ?	हां/नहीं

ज. मांग के ब्यौरे

1. क्या किसी निर्धारण वर्ष (वर्षों) के लिए बकाए की कोई मांग है? हां/नहीं

1क. यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें :

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	मांग	मांग की प्रकृति	अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हों

झ. धार्मिक व्ययों के ब्यौरे

1. क्या निधि या संस्था ने धार्मिक प्रकृति का कोई व्यय उपगत किया है? हां/नहीं

1क. यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें :

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	कुल आय	धार्मिक प्रकृति का व्यय	कुल आय की प्रतिशतता

ञ. प्रकीर्ण

1.	क्या न्यास विलेख में ऐसा खंड अंतर्विष्ट है कि न्यास अप्रतिसंहरणीय है?	हां/ नहीं/ लागू नहीं होता **(**न्यासियों से भिन्न आवेदकों की दशा में **)**

	2.	धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदन धारा 12क या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण, धारा 80छ के अधीन अनुमोदन के आवेदन की नामंजूरी /अनुमोदन के रद्दकरण के ब्यौरे :

क्र. सं.	धारा/ खंड/ उपखंड आदि (उपयोगिता में ड्रापडाउन का उल्लेख करें)	अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण/ अनुमोदन के आवेदन की नामंजूरी/ अनुमोदन का रद्दकरण आदि (उपयोगिता में ड्रापडाउन का उल्लेख करें)	आदेश सं.	आदेश की तारीख								आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी
				दि	दि	म	म	व	व	व	व	

मैं _____________, पुत्र/ पुत्री __________, यह घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन में दिए गए ब्यौरे मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं।

मैं, न्यास/सोसाइटी/अलाभकारी कंपनी के निबंधनों में या संस्था को शासित करने वाले नियमों में, इसके पश्चात् किसी समय पर किए गए किसी परिवर्तन को तत्काल संसूचित करने का वचन देता/देती हूं।

मैं, यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैं यह आवेदन______________________ (पदनाम) की अपनी हैसियत में दे रहा हूं/रही हूं और मैं यह आवेदन करने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर [ ]

पदनाम ____

पता ____

संलग्नक :

1. निम्नलिखित की स्वप्रमाणित प्रति-

(क) निधि या संस्था, जो आवेदक है, के सृजन या स्थापना का साक्ष्य देने वाली लिखत/दस्तावेज जैसे संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद, न्यास विलेख, आवेदक और विद्यालय, चिकित्सालय आदि जैसी अन्य ऐसी संस्थाओं जिनका प्रबंध आवेदक द्वारा किया जाता है, को यथा लागू नियम/विनियम;

(ख) कंपनी रजिस्ट्रार / फर्म रजिस्ट्रार / सोसाइटीज रजिस्ट्रार / लोक न्यास रजिस्ट्रार आदि, जो भी लागू हों, का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;

(ग) पूर्ववर्ती या प्रारंभ से तीन पूर्ववर्ष तक के, इनमें से जो भी कम हों, लेखे और तुलनपत्र (संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ संपरीक्षित लेखे और तुलनपत्र जहां सुसंगत विधि के अधीन संपरीक्षा अपेक्षित है) ; आवेदक के प्रयोजनों के मद्दे आय के विनियोग के प्रति विशेष निर्देश सहित ऐसे क्रियाकलापों पर टिप्पण के साथ, जो लेखाओं और वार्षिक रिपोर्टों में दर्शित किए गए हैं, यदि लागू हों ;

(घ) धारा 10 के खंड (23ग) के, यथास्थिति, उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदन अनुदत्त करने वाला आदेश, यदि कोई हों;

(ङ) यथास्थिति, धारा 12क या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने वाला आदेश, यदि कोई हों ;

(च) धारा 80छ के अधीन रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने हेतु आवेदन को नामंजूर करने का आदेश, यदि कोई हों;

(छ) धारा 80छ के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण के रद्दरकरण का आदेश, यदि कोई हों ; और

(ज) धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदन के लिए या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण के, जो लागू हों, की दशा में, आवेदन

2. आवेदक के क्रियाकलापों पर टिप्पण।

3. कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) __________।";

(ii) 'प्ररूप सं. 56' के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्: —

"**प्ररूप सं**. 56

(**नियम 2ग देखिए**)

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) और उपखंड (viक) के अधीन छूट अनुदत्त करने के लिए आवेदन

<table>
<tr><td rowspan="8">क. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के ब्यौरे</td><td colspan="2">स्थायी खाता सं.</td><td colspan="3">निधि/ संस्था का नाम (आटो पापुलेटेड)</td></tr>
<tr><td colspan="2">ए बी सी डी इ 1 2 3 4 एफ</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>फ्लैट / डोर / ब्लाक सं.</td><td colspan="2">परिसर/ भवन / गांव का नाम</td><td>सड़क / गली</td><td>डाकघर</td></tr>
<tr><td>क्षेत्र/ परिक्षेत्र</td><td>शहर/नगर/जिला</td><td>पिन कोड</td><td>राज्य(चयन करें)</td><td>देश(चयन करें)</td></tr>
<tr><td colspan="3">कार्यालय का दूरभाष नं.एसटीडी कोड सहित/ मोबाइल नं. 1</td><td colspan="2">फैक्स नं. एसटीडी कोड सहित/ मोबाइल नं. 2</td></tr>
<tr><td colspan="5">ईमेल पता 1</td></tr>
<tr><td colspan="5">ईमेल पता 2</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>ख. उपखंड जिसके अधीन आवेदन किया गया है</td><td colspan="5">कृपया सुसंगत उपखंड विनिर्दिष्ट करें- (किसी एक का चयन करें)
○ धारा 10 का खंड (23ग) का उपखंड (iv) (निधि या संस्था)
○ धारा 10 का खंड (23ग) का उपखंड (v) (न्यास जिसके अंतर्गत कोई दायित्व भी है या संस्था)
○ धारा 10 का खंड (23ग) का उपखंड (vi) (विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था)
○ धारा 10 का खंड (23ग) का उपखंड (viक) (चिकित्सालय या अन्य संस्था)</td></tr>
<tr><td>ग. विधिक प्रास्थिति</td><td colspan="5">कृपया विनिर्दिष्ट करें कि निधि/ संस्था (किसी एक का चयन करें)
○ ______________________________के अधीन लोकन्यास के रूप में गठित (कृपया अधिनियम का नाम विनिर्दिष्ट करें जिसके अधीन लोकन्यास के रूप में गठित किया गया है)
○ सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या भारत के किसी भाग में प्रवृत्त उक्त अधिनियम के तत्स्थानी किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है-----------------------------(कृपया विधि का नाम विनिर्दिष्ट है, जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत है)
○ कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के अधीन या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है
○ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) ___________________________________</td></tr>
<tr><td rowspan="2">घ. प्रयोजन</td><td>1.</td><td colspan="4">प्रयोजन (उस उपखंड पर जिसके अधीन आवेदन किया गया है निर्भर रहते हुए उपखंड(v) के सिवाय निम्नलिखित का स्व-चयन करें)]:
○ पूर्त प्रयोजन [उपखंड (iv)]
○ पूर्णतः लोक धार्मिक प्रयोजनों के लिए [उपखंड (v)]
○ पूर्णतः लोक धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए [उपखंड (v)]
○ शैक्षिक प्रयोजन [उपखंड (vi)]
○ परोपकारी प्रयोजन [उपखंड (viक)]</td></tr>
<tr><td>1क.</td><td colspan="4">पूर्त या पूर्णतः लोक धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों की दशा में, कृपया निम्नलिखित का चयन करें(कम से कम एक):
☐ गरीबों को अनुतोष ☐ पर्यावरण संरक्षण (जिसके अंतर्गत जल विभाजक, वन और वन्य जीव भी हैं)
☐ शिक्षा ☐ कलात्मक या ऐतिहासिक हितों के स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण
☐ योग ☐ साधारण लोक उपयोगी किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति
☐ चिकित्सा अनुतोष</td></tr>
</table>

1ख. "साधारण लोक उपयोगी किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति" की दशा में कृपया निम्नलिखित के बारे में बताएं :

(i) क्या इसमें किसी उपकर या फीस या किसी अन्य प्रतिफल के लिए व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप चलाया जाना या किसी व्यापार वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप अंतर्वलित है ? — हां/ नहीं

(ii) क्या साधारण लोक उपयोगी किसी अन्य उद्देश्य की ऐसी वास्तविक उन्नति के लिए कोई क्रियाकलाप किया गया है ; और — हां/ नहीं

(ii) ऐसे क्रियाकलाप से प्राप्तियों के ब्यौरे :

क्र. सं.	कुल प्राप्तियां	क्रियाकलाप से संकलित प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां की प्रतिशतता	टिप्पण, यदि कोई हों

ङ. न्यास की दशा में

1. न्यासकर्ता(ओं)/ संस्थापक (कों)/ स्थापक(कों) के ब्यौरे:

क्र.सं.	नाम	स्थायी खाता सं.	आधार नं. (यदि आबंटित किया गया हो)	पता

च. न्यास/ सोसाइटी/कंपनी/अन्य संस्थाओं की दशा में

1. न्यासी (यों)/ शासी परिषद् के सदस्यों/ निदेशक (कों)/ पदाधिकारी(रियों)के ब्यौरे :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	स्थायी खाता सं.	आधार नं. (यदि आबंटित किया गया हो)	पता

छ. कार्यालय आदि के ब्यौरे

1. कृपया प्रधान कार्यालय, शाखाओं आदि के ब्यौरे दें:

क्र. सं.	स्थान	प्रधान कार्यालय/ शाखा आदि	पता	शहर	राज्य	पिन	भारसाधक व्यक्ति		
							नाम	संपर्क नं.	ईमेल-आईडी

ज. क्रियाकलापों के ब्यौरे

1. क्रियाकलापों के ब्यौरे :

क्र. सं.	पता	प्रकृति (स्थल/ परियोजना आदि)	शहर	राज्य	पिन	भारसाधक व्यक्ति			क्रियाकलाप की प्रकृति
						नाम	संपर्क नं.	ईमेल-आईडी	

झ. कारबार के ब्यौरे

1.	क्या आवेदक कोई कारबार चला रहा है?	हां/नहीं
2.	यदि हां तो कृपया कारबार के ब्यौरे/प्रकृति बताएं।	
3.	क्या कारबार आवेदक के प्रयोजनों के अनुषंगिक है?	हां/नहीं

ञ. मांग के ब्यौरे

4.	क्या किसी निर्धारण वर्ष(वर्षों) के लिए बकाए की कोई मांग है?	हां/नहीं

5. यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें:

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	मांग	मांग की प्रकृति	अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हों

ट. आय और अभिदायों के ब्यौरे

1. उस पूर्ववर्ष की आय के ब्यौरे जिससे छूट के लिए अनुमोदन अनुदत्त करने की ईप्सा की गई है#:

क्र. सं.	वि.व.	कुल आय							संचित रकम	धारा 115खखग के अधीन संदान की रकम (यदि कोई हो)
		स्वैच्छिक अभिदाय			अन्य			योग		
		नकद	वस्तु के रूप में	योग	नकद	वस्तु के रूप में	योग			

ट. विनिधान के ब्यौरे

1. धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट ढंग#:

क्र.सं.	ढंग	विनिधान के ब्यौरे	विनिधान की रकम	विनिधान से आय

2. कोई अन्य ढंग#:

क्र.सं	ढंग	विनिधान के ब्यौरे	विनिधान की रकम	विनिधान से आय

ठ. प्रकीर्ण

1.	क्या न्यास विलेख में ऐसा खंड अंतर्विष्ट है कि न्यास अप्रतिसंहरणीय है?	**हां/नहीं**

2. धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदन/अनुमोदन का रद्दकरण/अनुमोदन के आवेदन की नामंजूरी, धारा 12क या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण/रजिस्ट्रीकरण के आवेदन की नामंजूरी, धारा 80छ के अधीन अनुमोदन के ब्यौरे:

क्र. सं.	धारा/ खंड/ उपखंड आदि (उपयोगिता में ड्रापडाउन का उल्लेख करें)	अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण/रद्दकरण/अनुमोदन या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन/अनुमोदन या रजिस्ट्रीकरण आदि के लिए आवेदन की नामंजूरी (उपयोगिता में ड्रापडाउन का उल्लेख करें)	आदेश सं.	आदेश की तारीख								आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी
				दि	दि	म	म	व	व	व	व	

3.	**क्या आवेदक विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रिकृत है?**	**हां/नहीं**

3क. यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें**:**

(i) रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे**:**

रजिस्ट्रीकरण संख्या	रजिस्ट्रीकरण की तारीख							

(ii) पूर्ववर्ष सहित अंतिम तीन वित्तीय वर्षों में प्राप्त रकम के ब्यौरे (यदि पूर्ववर्ष के अंत के पश्चात् आवेदन किया है) जिसके लिए आवेदन किया गया है**:**

क्र.सं	वित्तीय वर्ष	देश	करेंसी	रकम(विदेशी करेंसी में	रकम (रुपए में)

यदि आवेदन उस पूर्ववर्ष की**,** जिससे अनुमादेन की ईप्सा की गई है**,** समाप्ति से पहले किया गया है तो उस मास की**,** जिसमें आवेदन किया गया है पूर्ववर्ती अंतिम तारीख को उस पूर्ववर्ष के भाग के ब्यौरे दें**.**

मैं **______________, पुत्र/** पुत्री **____________,** यह घोषणा करता**/**करती हूं कि आवेदन में दिए गए ब्यौरे मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं।

मैं, न्यास**/**सोसाइटी**/**अलाभकारी कंपनी के निबंधनों में या संस्था को शासित करने वाले नियमों में, इसके पश्चात् किसी समय पर किए गए किसी परिवर्तन को तत्काल संसूचित करने का वचन देता**/**देती हूं।

मैं, यह और घोषणा करता**/**करती हूं कि मैं यह आवेदन**_______________________ (**पदनाम**)** की अपनी हैसियत में दे रहा हूं/रही हूं और मैं यह आवेदन करने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।

मैं**,** यह घोषणा करता/करती हूं कि आवेदक, जो आय-कर अधिनियम**,** 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iiiकख) या उपखंड (**iii**कघ) में उल्लिखित विश्वविद्यलयों या शैक्षिक संस्थाओं से भिन्न अन्य विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थाएं हैं**,** केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए विद्यमान हैं न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए।*

मैं, यह घोषणा करता/करती हूं कि आवेदक, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iiiकग) या उपखंड (iiiकड़) में उल्लिखित चिकित्सालय या अन्य संस्था से भिन्न चिकित्सालय या अन्य संस्था है, रुगणता या मानसिक दोष से ग्रस्त व्यक्तियों के स्वागत और उपचार या स्वास्थ्य लाभ के दौरान या चिकित्सा की दृष्टि से ध्यान देने योग्य या पुनर्वासन की अपेक्षा करने वाले व्यक्तियों के स्वागत और उपचार के लिए है न कि लाभ के प्रयोजन के लिए।*

*ऐसे उपखंड जिसके अधीन आवेदन किया गया है, स्वत: उपलब्ध कराएं।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

पदनाम ____________________

पता ____________________

संलग्नक :

2. निम्नलिखित की स्वप्रमाणित प्रति-

(क) निधि या संस्था, न्यास, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थाओं, चिकित्सालय या अन्य संस्थाओं, जो आवेदक है, के सृजन या स्थापना का साक्ष्य देने वाली लिखत/दस्तावेज जैसे संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद, न्यास विलेख, आवेदक और विद्यालय, चिकित्सालय आदि जैसी अन्य ऐसी संस्थाओं जिनका प्रबंध आवेदक द्वारा किया जाता है, को यथा लागू नियम/विनियम;

(ख) कंपनी रजिस्ट्रार / फर्म रजिस्ट्रार / सोसाइटीज रजिस्ट्रार / लोक न्यास रजिस्ट्रार आदि, जो भी लागू हों, का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;

(ग) पूर्ववर्ती या प्रारंभ से तीन पूर्ववर्ष तक के, इनमें से जो भी कम हों, लेखे और तुलनपत्र (संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ संपरीक्षित लेखे और तुलनपत्र जहां सुसंगत विधि के अधीन संपरीक्षा अपेक्षित है) ; आवेदक के प्रयोजनों के मद्दे आय के विनियोग के प्रति विशेष निर्देश सहित ऐसे क्रियाकलापों पर टिप्पण के साथ, जो लेखाओं और वार्षिक रिपोर्टों में दर्शित किए गए हैं, यदि लागू हों ;

(घ) धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुदत्त अनुमोदन यदि कोई हों;

(ङ) धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुदत्त अनुमोदन के रद्दकरण का आदेश, यदि कोई हो;

(च) धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदन अनुदत्त करने हेतु पहले किए गए आवेदन को नामंजूर किए जाने वाला आदेश, यदि कोई हो;

(छ) यथास्थिति, धारा 12क या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने वाला आदेश, यदि कोई हों ;

(ज) धारा 12क या धारा 12कक के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का आदेश, यदि कोई हो;

(झ) धारा 12क या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने हेतु आवेदन का नामंजूर करने का आदेश, यदि कोई हो ; और

(ञ) जहां आवेदक को धारा 80छ के अधीन अनुमोदन अनुदत्त किया गया है वहां धारा 80छ के अधीन अनुमोदन प्राप्त करने वाले आदेश की स्वप्रमाणित प्रति; और

(ट) यदि धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए या धारा 80छ के अधीन अनुमोदन के लिए, जो भी लागू हो, आवेदन किया गया है तो वह आवेदन।

2. आवेदक के क्रियाकलापों पर टिप्पण ।

3. कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) __________।";

(iii) प्ररूप सं. 56घ का लोप किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 60/2019/ फा.सं. 370142/14/2018-टीपीएल]

नीरज कुमार, उप सचिव (कर नीति और विधायन प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ.संख्यांक 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 614(अ) तारीख 30 अगस्त 2019 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2019

INCOME-TAX

S.O. 3215(E).—In exercise of the powers conferred by the first proviso to clause (23C) of sub-section (1) of section 10 and clause (vi) of sub-section (5) of section 80G read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Income-tax (6^{th} Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the 5^{th} November, 2019.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereafter referred to as the principal rules), -

(i) for 'rules 2C and 2CA', the following rule shall be substituted, namely: —

"Application for the purpose of grant of approval for the exemption under sub-clause (iv), sub-clause (v), sub-clause (vi) and sub-clause (via) of clause (23C) of section 10.

2C. (1) The prescribed authority under sub-clause (iv), sub-clause (v), sub-clause (vi) and sub-clause (via) of clause (23C) of section 10 shall be the Principal Commissioner or Commissioner whom the Central Board of Direct Taxes may authorise to act in this behalf.

(2) An application for grant of approval for the exemption under sub-clause (iv), sub-clause (v), sub-clause (vi)or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10 to any fund or institution, any trust (including any other legal obligation) or institution, any university or other educational institution and any hospital or other institution (hereinafter referred to as 'the applicant') shall be made in Form No. 56 and shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income under section 140, as applicable to the assesse.

(3) Form No. 56 shall be furnished electronically, —

(i) under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature; or

(ii) through electronic verification code in a case not covered under clause (i).

(4) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall lay down the data structure, standards and procedure of furnishing and verification of Form No. 56 and shall be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the said form so furnished.".

(ii) for 'rule 11AA', the following rule shall be substituted, namely: —

"Requirements for approval of an institution or fund under section 80G.

11AA (1) For approval under clause (vi) of sub-section (5) of section 80G, the institution or fund (hereinafter referred to as 'the applicant') shall be required to file application in Form No 10G, which shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income under section 140, as applicable to the assesse.

(2) Form No 10G shall be furnished electronically, —

(i) under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature; or

(ii) through electronic verification code in a case not covered under clause (i).

(3) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall lay down the data structure, standards and procedure of furnishing and verification of Form

No. 10G and shall be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the said form so furnished.

(4) The Principal Commissioner or Commissioner may call for such further documents or information from applicant or cause such inquiries to be made as he may deem necessary in order to satisfy himself about the genuineness of the activities of the applicant.

(5) Where the Principal Commissioner or Commissioner is satisfied that all the conditions laid down in clauses (i) to (v) of sub-section (5) of section 80G are fulfilled by the applicant, he shall record such satisfaction in writing and grant approval under clause (vi) of sub-section (5) of section 80G.

(6) Where the Principal Commissioner or Commissioner is satisfied that one or more of the conditions laid down in clauses (i) to (v) of sub-section (5) of section 80G are not fulfilled, he shall record the reasons in writing and reject the application for approval after giving the applicant an opportunity of being heard.

(7) The order granting approval under clause (vi) of sub-section (5) of section 80G or rejecting the application shall be passed within the period of six months from the end of the month in which such application was received.".

3. In the principal rules, in Appendix II, -

(i) for 'Form 10G', the following Form shall be substituted, namely:—

"FORM No. 10G

(See rule 11AA)

Application for grant of approval to fund or institution under clause (vi) of sub-section (5) of section 80G of the Income-tax Act, 1961

A. Details of Registered Office	**PAN** A B C D E 1 2 3 4 F	**Name of the Fund/ Institution (Auto populated)**		
	Flat / Door / Block No.	**Name of Premises / Building / Village**	**Road / Street**	**Post Office**
	Area / Locality	**Town/City/District** / **PIN Code**	**State**(Select)	**Country**(Select)
	Office Phone No. with STD Code/ Mobile No. 1	**Fax No. with STD Code/ Mobile No. 2**		
	Email Address 1			
	Email Address 2			

B. Legal Status	**Please specify whether the Fund/ Institution is- (select any one)** ○ constituted as Public Trust under ________________________________ (please specify name of Act under which constituted as a Public Trust) ○ registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any law corresponding to that Act in force in any part of India ____ (please specify name of the law under which registered) ○ registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or under section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) ○ a University established by law ○ any other educational institution recognised by the Government or by any University established by law, or affiliated to any University established law. ○ An Institution financed wholly or in part by the Government or a local authority ○ A Regimental Fund or Non-Public Fund established by the Armed Forces of the Union for the welfare of the past and present members of such forces or their dependants ○ Others (please specify) ____________________________________

C. Purpose	1.	Please select from the following (at least one): ☐ Relief of the poor ☐ Education ☐ Yoga ☐ Medical relief ☐ Preservation of environment (including watersheds, forests and wildlife) ☐ Preservation of monuments or places or objects of artistic or historic interest ☐ Advancement of any other object of general public utility

1a. In case of "advancement of any other object of general public utility", please provide following:

(i) Whether it involves the carrying on of any activity in the nature of trade, commerce or business, or any activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business, for a cess or fee or any other consideration? — Yes/ No

(ii) Whether the activity is undertaken in the course of actual carrying out of such advancement of any other object of general public utility; and — Yes/ No

(ii) Details of receipts from such activity:

S. No.	Total Receipts	Aggregate Receipts from the Activity	Percentage to Total Receipts	Remarks, if any

D. In case of a Trust

1. Details of Author (s)/ Founder (s)/ Settlor (s):

S. No.	Name	PAN	Aadhaar No. (if allotted)	Address

E. In case of a Trust/ Society/ Company/ Other Institutions

1. Details of Trustee (s)/ Members of the Governing Council/ Director (s)/ Office Bearer (s):

S .No.	Name	Designation	PAN	Aadhaar No. (if allotted)	Address

F. Exemption/ Approval/ Registration Details

1. Please provide the relevant provision under which the income of the applicant would not be liable to inclusion in its total income (Drop Down to be provided in utility).

2. Status of approval or registration of the fund or institution:

- ○ Approved under sub-clause (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10
- ○ Registered under section 12A/ 12AA
- ○ Applied for approval under sub-clause (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10
- ○ Applied for registration under section 12A/ 12AA

2b.

S No.	Section	Registration/ Application Number	Date of Registration/ Approval/ Application

G. Details of Business

No.	Particulars	
1.	Whether the applicant derives any income being profits and gains of business?	Yes/No
1a.	If yes, please provide the nature of business.	
2.	Whether the applicant maintains separate books of account in respect of such business?	Yes/No
3.	Whether the donations received are used, directly or indirectly, for the purposes of such business?	Yes/No
4.	Whether the instrument under which the institution or fund is constituted, or the rules governing the institution or fund, contains any provision for the transfer or application at any time of the whole or any part of the income or assets of the institution or fund for any purpose other than a charitable purpose?	Yes/No
5.	Whether institution or fund is expressed to be for the benefit of any particular religious community or caste?	Yes/No
6.	Whether the institution or fund maintains regular accounts of its receipts and expenditure?	Yes/ No

H. Details of Demand

1. Whether any demand is outstanding for any assessment year (s)? — Yes/ No

1a. If yes, please provide the following details:

S. No.	Assessment Year	Demand	Nature of Demand	Penalty imposed, if any

I. Details of Religious Expenses

1. Whether the fund or the institution has incurred any expenditure of religious nature? — Yes/No

1a. If yes, please provide the following details:

S. No.	Assessment Year	Total Income	Expenditure of Religious Nature	Percentage to Total Income

J. Miscellaneous

No.	Particulars	
1.	Whether the trust deed contains clause that the trust is irrevocable?	Yes/ No/ Not Applicable (in case of applicants other than trusts)

	2.	Details of, approval under sub-clause (iv), sub-clause (v), sub-clause (vi) or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10, registration under section 12A or 12AA, rejection of application for approval/ cancellation of approval under section 80G:

S. No.	Section/ Clause/ Sub-clause etc (Drop Down to be provided in utility)	Approval/ Registration/ Rejection of application for approval/ Cancellation of approval etc (Drop Down to be provided in utility)	Order No.	Order date								Authority issuing the order
				D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	

I _____________, son/ daughter of __________, hereby declare that the details given in the application are true and correct to the best of my knowledge and belief.

I undertake to communicate forthwith any alteration in the terms of the trust/society/non-profit company, or in the rules governing the Institution, made at any time hereafter.

I further declare that I am making this application in my capacity as ______________________ (designation) and that I am competent to make this application and verify it.

Place:

Date:

Signature

Designation ____

Address ____

Attachments:

1. Self-certified copy of-

(a) the instrument/ document evidencing the creation or establishment of the fund or institution, being the applicant, such as, memorandum of association, articles of association, trust deed, rules/ regulations of applicant and those of other institutions like schools, hospitals, etc., managed by the applicant, as applicable;

(b) certificate of registration with Registrar of Companies/ Firms/ Societies/ Public Trusts etc, wherever applicable;

(c) accounts and balance sheet (audited accounts and balance sheet along with the audit report, where audit is required under the relevant laws) for the preceding three previous years or since inception, whichever is less; along with a note on the activities as reflected in the accounts and the annual reports with special reference to the appropriation of income towards purposes of the applicant, if applicable;

(d) order granting approval under sub-clause (iv), sub-clause (v), sub-clause (vi) or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10, as the case may be, if any;

(e) order granting registration under section 12A or section 12AA, as the case may be, if any;

(f) order rejecting the application for grant of approval under section 80G, if any;

(g) order cancelling the registration granted under section 80G, if any; and

(h) application in case applied for approval under sub-clause (iv), sub-clause (v), sub-clause (vi) or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10 or for registration under section 12AA, as applicable.

2. Note on the activities of the applicant.

3. Any other (please specify) __________.";

(ii) for 'Form No 56', the following Form shall be substituted, namely: —

"FORM No. 56

(See rule 2C)

Application for grant of the exemption under sub-clauses (iv), (v), (vi) and (via) of clause (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961

A. Details of Registered Office

PAN										Name of the Fund/ Institution (Auto populated)
A	B	C	D	E	1	2	3	4	F	

Flat / Door / Block No.	Name of Premises / Building / Village	Road / Street	Post Office

Area / Locality	Town/City/District	PIN Code	State(Select)	Country (Select)

Office Phone No. with STD Code/ Mobile No. 1	Fax No. with STD Code/ Mobile No. 2

Email Address 1

Email Address 2

clause under which

Please specify the relevant sub-clause- (select any one)

- ○ Sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10 (fund or institution)
- ○ Sub-clause (v) of clause (23C) of section 10 (trust including any other obligation or institution)
- ○ Sub-clause (vi) of clause (23C) of section 10 (university or other educational institution)
- ○ Sub-clause (via) of clause (23C) of section 10 (hospital or other institution)

C. Legal Status

Please specify whether the Fund/ Institution is- (select any one)

- ○ constituted as Public Trust under _________________________________ (please specify name of Act under which constituted as a Public Trust)
- ○ registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any law corresponding to that Act in force in any part of India ____ (please specify name of the law under which registered)
- ○ registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or under section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)
- ○ Others (please specify) ______________________________________

D. Purpose

1. Purpose [auto select depending on sub-clause under which applying except under sub-clause (v)]:

- ○ Charitable purposes [sub-clause (iv)]
- ○ Wholly for public religious purposes [sub-clause (v)]
- ○ Wholly for public religious and charitable purposes [sub-clause (v)]
- ○ Educational purposes [sub-clause (vi)]
- ○ Philanthropic purposes [sub-clause (via)]

1a. In case of charitable or wholly for public religious and charitable purposes, please select (at least one):

- ☐ Relief of the poor
- ☐ Education
- ☐ Yoga
- ☐ Medical relief
- ☐ Preservation of environment (including watersheds, forests and wildlife)
- ☐ Preservation of monuments or places or objects of artistic or historic interest
- ☐ Advancement of any other object of general public utility

1b. In case of "advancement of any other object of general public utility", please provide following:

(i) Whether it involves the carrying on of any activity in the nature of trade, commerce or business, or any activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business, for a cess or fee or any other consideration? Yes/ No

(ii) Whether the activity is undertaken in the course of actual carrying out of such advancement of any other object of general public utility; and Yes/ No

(ii) Details of receipts from such activity:

S. No.	Total Receipts	Aggregate Receipts from the Activity	Percentage to Total Receipts	Remarks, if any

E. In case of a Trust

1. Details of Author (s)/ Founder (s)/ Settlor (s):

S. No.	Name	PAN	Aadhaar No. (if allotted)	Address

Trust/ Society/ Company/ Other

1. Details of Trustee (s)/ Members of the Governing Council/ Director (s)/ Office Bearer (s):

S.No	Name	Designation	PAN	Aadhaar No. (if allotted)	Address

G. Details of office etc.

1. Please provide the details of Head Office, branches etc:

S. No.	Place	Head Office/ Branch etc	Address	City	State	PIN	Person-in-charge		
							Name	Contact Number	E-mail ID

H. Details of Activities

1. Details of activities:

S. No.	Address	Nature (Site/ Project etc)	City	State	PIN	Person-in-charge			Nature of Activity
						Name	Contact Number	E-mail ID	

Details of Busines

1.	Whether the applicant is carrying any business?	Yes/No
2.	If yes, please provide the details/ nature of business.	
3.	Is the business incidental to the purposes of the applicant?	Yes/No

J. Details of Demand

4.	Whether any demand is outstanding for any assessment year (s)?	Yes/No

5. If yes, please provide the following details:

S. No.	Assessment Year	Demand	Nature of Demand	Penalty imposed, if any

K. Details of Income & Contributions

1. Details of Income of the previous year from which grant of approval for exemption is sought#:

S. No.	F Y	Total Income							Amount accumulated	Amount of donation under section 115BBC (if any)
		Voluntary contribution			Others			Total		
		Cash	Kind	Total	Cash	Kind	Total			

L. Details of investments

1. Modes specified under sub-section (5) of section 11#:

S. No.	Mode	Details of investments	Amount of investment	Income from investment

2. Any other mode#:

S. No.	Mode	Details of investments	Amount of investment	Income from investment

M. Miscellaneous

1.	Whether the trust deed contains clause that the trust is irrevocable?	Yes/ No

2. Details of, approval/ cancellation of approval/ rejection of application for approval under sub-clause (iv), sub-clause (v), sub-clause (vi) or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10, registration/ cancellation of registration/ rejection of application for registration under section 12A or 12AA, approval under section 80G:

S. No.	Section/ Clause/ Sub-Clause etc (Drop Down to be provided in utility)	Approval/ Registration/ Cancellation/ Application for approval or registration/ Rejection of application for approval or registration etc (Drop Down to be provided in utility)	Order No	Order date								Authority issuing the order
				D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	

3.	Whether the applicant is registered under the FCRA, 2010?	Yes/ No

<table>
<tr><td></td><td>3a.</td><td>If yes, please provide the following details:
(i) Details of registration:
<table>
<tr><td>Registration No.</td><td colspan="8">Date of registration</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
(ii) Details of amount received in last three financial years including the previous year (if applying after the end of the previous year) for which application is being made:
<table>
<tr><td>S. No.</td><td>Financial Years</td><td>Country</td><td>Currency</td><td>Amount (in foreign currency)</td><td>Amount (in Rupees)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

in case the application is made before the expiry of the previous year from which approval is sought, the details may be provided for the part previous year as on the last date preceding the month in which application is being made.

I ______________, son/ daughter of ___________, hereby declare that the details given in the application are true and correct to the best of my knowledge and belief.

I undertake to communicate forthwith any alteration in the terms of the trust/society/non-profit company, or in the rules governing the Institution, made at any time hereafter.

I further declare that I am making this application in my capacity as _______________________(designation) and that I am competent to make this application and verify it.

I hereby declare that the applicant, being the university or other educational institution exists solely for educational purposes and not for purposes of profit, other than those mentioned in sub-clause (iiiab) or sub-clause (iiiad) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961.*

I hereby declare that the applicant, being the hospital or other institution, is for the reception and treatment of persons suffering from illness or mental defectiveness or for the reception and treatment of persons during convalescence or of persons requiring medical attention or rehabilitation, and exists solely for philanthropic purposes and not for purposes of profit, other than those mentioned in sub-clause (iiiac) or sub-clause (iiiae) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961.*

* Auto provided on the basis of sub-clause under which application is made.

Place:

Date:

Signature	
Designation	____
Address	____

Attachments:

1. Self-certified copy of-

   (a) the instrument/ document evidencing the creation or establishment of the fund or institution, trust, university or other educations institutions, hospital or other institutions, being the applicant, such as, memorandum of association, articles of association, trust deed, rules/ regulations of applicant and those of other institutions like schools, hospitals, etc., managed by the applicant, as applicable;

   (b) certificate of registration with Registrar of Companies/ Firms/ Societies/ Public Trusts etc, wherever applicable;

   (c) accounts and balance sheet (audited accounts and balance sheet along with the audit report, where audit is required under the relevant laws) for the preceding three previous years or since inception, whichever is less; along with a note on the activities as reflected in the accounts and the annual reports with special reference to the appropriation of income towards purposes of the applicant, if applicable;

   (d) approval granted under sub-clause (iv), sub-clause (v), sub-clause (vi) or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10, if any;

   (e) order for cancelling the approval granted under sub-clause (iv), sub-clause (v), sub-clause (vi) or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10, if any;

   (f) order rejecting the application made earlier for grant of approval under sub-clause (iv), sub-clause (v), sub-clause (vi) or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10, if any;

(g) order granting registration under section 12A or section 12AA, as the case may be, if any;

(h) order cancelling the registration granted under section 12A or section 12AA, if any;

(i) order rejecting the application for grant of registration under section 12A or section 12AA, as the case may be, if any;

(j) where the applicant has been granted approval under section 80G, self-certified copy of the order granting approval under section 80G; and

(k) application in case applied for registration under section 12AA or for approval under section 80G, as applicable.

2. Note on the activities of the applicant.

3. Any other (Please specify) __________.”

(iii) Form No. 56D shall be omitted.

[Notification No. 60 /2019/ F. No. 370142/14/2018-TPL]

NIRAJ KUMAR, Dy. Secy. (Tax Policy & Legislation Division)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R No. 614(E) dated the 30th August, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.09.07 13:52:31 +05'30'